

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड  
(वाणिज्य कर विभाग)

संख्या : २३२१ / आ०रा०क०उ० / जी०ए०स०टी०—विधि अनुभाग / २०१७—१८  
देहरादून :: दिनांक :: ०८ अगस्त, २०१७

अधिसूचना

उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, २०१७ (२०१७ का ०६) की धारा ३८ की उपधारा (२) के पहले परंतुक के साथ पठित धारा १६८ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा ३८ की उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे देने की समय सीमा को, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (२) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (३) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर देने के लिए, एतद्वारा, बढ़ाता हूँ, अर्थात्:—

सारणी

क्रम सं०	मास	प्ररूप जीएसटीआर-२ में आवक प्रदायों के ब्यौरे फाइल करने की समय अवधि
(१)	(२)	(३)
1	जुलाई, २०१७	६ से १० सितंबर, २०१७
2	अगस्त, २०१७	२१ से २५ सितंबर, २०१७

२. यह अधिसूचना दिनांक ०८ अगस्त, २०१७ से प्रवृत्त होगी।

(श्रीधरबाबू अदांकी)

आयुक्त राज्य कर,  
उत्तराखण्ड।

**Commissioner State Tax Uttarakhand**  
**(Commercial Tax Department)**  
**No : 2321 /CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18**  
**Dehradun :: Dated :: 08 August, 2017**

**Notification**

In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (2) of section 38 read with section 168 of the Uttarakhan Goods and Services Act, 2017 (06 of 2017), I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details specified in sub-section (2) of section 38 of the said Act for the month as specified in column (2) of the Table below, within the period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

**Table**

<b>Sl. No.</b>	<b>Month</b>	<b>Time period for filing of details of inward supplies in FORM GSTR-2</b>
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	6 <sup>th</sup> to 10 <sup>th</sup> September, 2017
2.	August, 2017	21 <sup>st</sup> to 25 <sup>th</sup> September, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 8<sup>th</sup> day of August, 2017

  
(Sridharbabu Addanki)  
Commissioner State Tax,  
Uttarakhand.